—: न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नसीराबाद :—

पीठासीन अधिकारी :— देवीलाल यादव (आर.ए.एस.)
राजस्व प्रकरण संख्या :— 71/2019

उनवान

छोटू पुत्र शेरखान जाति मुसलमान निवासी ग्राम अजबा का बाडिया, नसीराबाद
—— प्रार्थी :— जरियें अधिवक्ता श्री सुखदेव चौधरी

बनाम

1. कल्लू पुत्र शेरखान
2. सुल्ताना पत्नी अब्दुल रहमान
3. इशाक
4. रईश पि. अब्दुल रहमान
5. हजारी
6. पप्पू पि. अहमद
7. अख्तर पत्नी अखबर समस्त जाति मुसलमान (पठान) निवासी ग्राम अजबा का बाडिया, नसीराबाद
8. राजस्थान सरकार जरियें तहसीलदार नसीराबाद

—— अप्रार्थीगण :— 1 से 7 जरियें अध्विक्ता श्री सुखदेव चौधरी
8 जरियें राज. पैरोकार

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

—: आदेश :— दिनांक :— 19.3.25

अधिवक्ता प्रार्थी ने उक्त आवेदन पत्र पेश कर निवेदन किया कि ग्राम अजबा का बाडिया के खाता संख्या 141/130 किता 13 रकबा 4.34 की आराजी प्रार्थी के भाई मौहम्मद पुत्र अन्नू के नाम राजस्व अभिलेख में खातेदारी दर्ज है। प्रार्थी उक्त आराजी पर दिनांक 29.1.79 से ही अपने भाई के जीवन काल से ही काबिज चला आ रहा है। प्रार्थी के भाई के निधन के बाद अनपढ होने के कारण प्रार्थी आराजी मुतनाजा को राजस्व अभिलेख में अपने नाम दर्ज नही करवा सका। अप्रार्थीगण उक्त आराजी पर बिना किसी अधिकार के प्रार्थी के कब्जे काश्त में दखलदांजी कर रहे है तथा अन्यत्र हस्तांतरण करने पर आमादा है। अतः अप्रार्थीगण को पाबंद किया जावे।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीगण को [illegible] नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी संख्या 1 से 7 ने जवाब प्रार्थना पत्र पेश कर [illegible] स्वीकार किया तथा

Signature Not Verified
Digitally signed by Devi Lal Yadav
Date: 2025.07.29 15:00:11 IST
Reason: SelfAttested

——2

उपखण्ड अधिकारी
नसीराबाद (अजमेर)

निवेदन किया कि आराजी मुतनाजा पर प्रार्थी का ही कब्जा काश्त है। प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है तो उन्हे कोई आपत्ति नही है। राज. पैरोकार ने जवाब नही पेश करना जाहिर किया।

बहस उभयपक्ष सुनी गयी।

पत्रावली का अवलोकन किया। विद्वान अधिवक्तागण व राज. पैरोकार की बहस पर मनन किया। प्रकरण में निम्नानुसार आदेश पारित किये जाते है।

प्रथम दृष्टया मामला :–

ग्राम अजबा का बाडिया के खाता संख्या 141/130 किता 13 रकबा 4.34 की आराजी प्रार्थी के भाई मौहम्मद पुत्र अन्नू के नाम राजस्व अभिलेख में खातेदारी दर्ज है। प्रार्थी का कथन है कि मौहम्मद की मृत्यु हो गयी है तथा उक्त आराजी पर उसका एकल कब्जा है। अप्रार्थीगण ने प्रार्थना पत्र के तथ्यों को स्वीकार किया है। किन्तु राजस्व अभिलेख में आराजी मुतनाजा के खातेदार मौहम्मद पुत्र अन्नू के विधिक वारिस कौन–कौन है इसके समर्थन में प्रार्थी द्वारा कोई ठोस दस्तावेज पेश नही किये है। अप्रार्थीगण ने आवेदन पत्र के तथ्यों को स्वीकार किया है। अतः मौके पर वाद बहुलता की संभावना नही है। अप्रार्थीगण के नाम उक्त आराजी दर्ज नही होने के कारण उनके द्वारा आराजी मुतनाजा का बैचान नही किया जा सकता है। आराजी मुतनाजा पर प्रार्थी अपना कब्जा होने का कथन करता है। अतः प्रकरण में अस्थायी निषेधाज्ञा जारी करना न्यायोचित नही है। प्रकरण प्रथम दृष्टया प्रार्थी सिद्ध नही होता है।

2. अपूरणीय क्षति पारित होने की संभावना :– विधि का यह सुस्थापित सिद्वान्त है कि जब अस्थायी निषेधाज्ञा चाही गयी हो तो यह साबित करना होगा कि यदि व्यादेश नही दिया गया तो उसे अपूरणीय क्षति होगी। प्रस्तुत प्रकरण में प्रार्थी राजस्व अभिलेख में खातेदार दर्ज नही है। आराजी मुतनाजा पर कब्जा प्रार्थी का है। आराजी मुतनाजा में दर्ज खातेदार के विधिक वारिसन का निर्धारण मूल वाद में साक्ष्य आदि से ही होगा।ऐसी परिस्थिति में अपूरणीय क्षति की संभावना भी प्रार्थी के पक्ष में सिद्व नही होती है।

3. सुविधा का संतुलन :– न्यायहित में व्यादेश मंजूर करने पर प्रभावित पक्ष को होने वाली क्षति को घ्यान में रखते हुये युक्ति युक्त विवेक का प्रयोग किया जाकर ही सुविधा का संतुलन का निर्णय किया जा सकता है। प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में प्रकरण प्रथम दृष्टया बहक प्रार्थी सिद्व नही होता है व अपूरणीय क्षति की संभावना भी प्रार्थी के पक्ष में नही है। तद्नुसार सुविघा का संतुलन भी विरूद्व प्रार्थी सिद्व होता है। शेष तथ्य मूल वाद में साक्ष्य आदि से सिद्व होगे।

आदेश :– ग्राम अजबा का बाडिया के खाता संख्या 141/130 किता 13 रकबा 4.34 की आराजी मुतनाजा पर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र **"खारिज"** किया जाता है। पक्षकार खर्चा स्वयं वहन करे।

आदेश आज सरे इजलास सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
छबीराबाद

Signature Not Verified

Digitally signed by Devi Lal Yadav
Date: 2025.07.29 15:00:11 IST
Reason: SelfAttested